यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के माह 04/2011 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 14.08.2018 से 18.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज चुंगु सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी.सी. श्रीवास्तव सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विनीत निगम सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2011 से 19.08.2011 तक श्री डी.पी. सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2006 से 03/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2011 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जनपद में संचालित समस्त प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों (Pre-service/In-service) को प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. **कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त देहरादून जनपद है।**

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2011-12	-	-	211.87	208.02	36.59	32.25	-	8.19
2012-13	-	-	207.94	207.90	38.45	38.44	-	0.05
2013-14	-	-	221.01	221.01	41.57	41.57	-	0.00
2014-15	-	-	269.95	256.70	63.68	55.08	-	21.85
2015-16	-	-	283.34	280.97	58.04	57.64	-	2.77
2016-17	-	-	397.50	292.08	63.20	62.01	-	106.61
2017-18	-	-	337.44	334.07	69.75	65.92	-	38.20
2018-19	-	-	207.45	133.08	41.38	26.15	-	89.60

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)/बचत(-)**	**ब्याज**
2011-12	शिक्षक-शिक्षा	25.35	11.75	7.90	29.20	0.90
2012-13		29.20	-	8.57	20.62	1.21
2013-14		20.62	17.38	16.71	21.29	1.49
2014-15		-	18.51	4.23	14.28	1.05
2015-16		-	11.00	5.68	5.31	0.36
2016-17		12.83	14.97	12.25	15.55	0.19
2017-18		0.72	20.11	19.42	1.60	0.19
2018-19		-	1.00	-	1.00	0.19

(iii) इकाई को बजट राज्य सरकार द्वारा एवं शिक्षक-शिक्षा केन्द्र पुरोनिधानित योजनांतर्गत केन्द्र के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण
4. अपर निदेशक एस सी ई आर टी उत्तराखण्ड
5. प्राचार्य

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2012, 12/2014 एवं 02/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>**भाग दो "ब"**</u>

प्रस्तर:1- बिना एमओयू के ही निर्माण कार्य किया जाना एवं पुनरीक्षित लागत स्वीकृत किए बगैर कार्यदायी संस्था के पास ₹74.00 लाख अवरुद्ध रखा जाना।

शासनादेश संख्या 148/xxiv-3/13/02(10)2013 दिनांक 01-03-2013 द्वारा केंद्र पुरोनिधानित योजना शिक्षक शिक्षा की पुनरसंरचना एवं पुनर्गठन के अंतर्गत DIET के लिए अनावर्ती मदों (निर्माण कार्य एवं उपकरण) हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि स्वीकृत की गयी, उक्त शासनादेश के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के पत्र संख्या 5ख-3/62670-93/शिक्षक-शिक्षा/2012-13 दिनांक 12 मार्च 2013 के माध्यम से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में ₹ 190.08 लाख की लागत से छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹19.01 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये गए। तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1056/XXIV-3/14/2/(10)13 02 सितंबर 2014 द्वारा ₹19.01 लाख की द्वितीय किश्त जारी की गयी। इस दौरान कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹ 38.76 लाख का उपभोग कर लिया गया था। धनराशि के अभाव में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और इसकी सूचना इकाई को पत्र संख्या 1564/आईसीबी दिनांक 26-05-2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी।

दिनांक 07 जनवरी 2017 को कार्यदायी संस्था को तृतीय किश्त के रूप में ₹69.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी, दिनांक 16 मार्च 2017 को ₹ 5.00 लाख और कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिये गए इस प्रकार कार्यदायी संस्था के पास ₹74.00 लाख की धनराशि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करा दी गयी।

पूर्व में इकाई द्वारा कार्यादायी संस्था को निर्माण हेतु वर्तमान मानचित्र में एनसीटीई के मानकों के अनुसार परिवर्तन करते हुए निर्माण करने के लिए निर्देशित किया गया जिसके अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 211.09 लाख का पुनरीक्षित आगणन दिनांक 01-03-2016 को शासन को प्रेषित किया गया एवं इसकी सूचना इकाई को भी उपलब्ध करा दी गयी।

इस प्रकार ₹ 74.00 लाख की धनराशि विगत डेढ़ वर्षों से कार्यादायी संस्था के पास अवरुद्ध पड़ी है, निर्माण कार्य की संशोधित लागत स्वीकृत भी नहीं थी तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु इकाई के द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू भी नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा एमओयू न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा जानकारी के अभाव में एमओयू न किया जाना बताया गया एवं भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को मूल आगणन के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को हस्तगत किया जाना बताया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना एमओयू के निर्माण कार्य कराया जाना शासनादेशों की स्पष्ट अवहेलना थी। साथ ही जब पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत हेतु लंबित था, उस परिस्थिति में कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तगत नहीं की जानी चाहिए थी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
IC VI/GNS/2000-01	-	01
IC/70/2006-07	-	01,02
39/2011-12	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………………………………………………….Nil…………………………………………………………….

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

01	श्रीमती शशि बाला चौधरी	प्राचार्य	01.04.2012 से 13.08.2012
02	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्राचार्य	14.08.2012 से 30.10.2013
03	श्रीमती हेमन्ती बोरा	प्राचार्य	01.11.2013 से 15.01.2014
04	श्री राम कृष्ण उनियाल	प्राचार्य	16.01.2014 से 19.08.2014
10	श्रीमती गीता नौटियाल	प्राचार्य	20.08.2014 से 31.07.2015
12	श्री राकेश जुगरान	प्राचार्य	31.07.2015 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र